(165)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 726—दो/2007 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 25—01—2007 के द्वारा न्यायालय आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 28/2002—03/अपील

.....

1— ज्योतीप्रसाद पुत्र प्रहलाद,
2— प्रहलाद पुत्र फुन्दी
निवासीगण— ग्राम बगवाज, तहसील व
जिला—श्योपुर (म0प्र0) ..... आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
शासकीय अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 25.12.16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 25—01—2007 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ज्योतिप्रसाद को ग्राम बगबाज की भूमि सर्वे क्रमांक 562/2 मिन रकबा 3 बीघा एवं प्रहलाद को सर्वे क्रमांक 625/2 रकबा 4 बीघा 1 विस्वा 625/4 रकबा 4 बीघा का न्यायालय नायब तहसीलदार श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 26/95—96/अ—19 में पारित आदेश दिनांक 02.07.96 द्वारा बंटन कर भूमिस्वामी स्वत्व के पट्टे जारी किये व मौके पर कब्जा दिया गया । आवेदकगण विवादित भूमि पर निरन्तर काबिज होकर खेती कर रहे है और भूमि को श्रम एवं पूँजी लगाकर कृषि योग्य बनाया है। शिकायतकर्ता हसन अली ने विवादित भूमि के सम्बन्ध में कलेक्टर, श्योपुर को इस आशय की

शिकायत की कि, उसके द्वारा ग्राम बगवाज की बेहड़ भूमि सर्वे क्रमांक 175 एवं 181 को कृषि योग्य बनाया गया, जिस पर कई वर्षों से खेती करते आ रहें है। जिसे नूरमोहम्मद पुत्र सुभान ने अपनी दोनों पत्नियों हलीमा एवं फरीदा के नाम पटवारी से मिलकर तहसील से पट्टा करा लिया है, जबकि उक्त भूमि का पट्टा आवेदकगण को नहीं किया गया । उक्त शिकायत की जांच कलेक्टर, श्योपुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर से कराई गई, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने विधिवत प्रकरण दर्ज कर तहसील, श्योपुर के भूमि बंटन के प्रकरण क्रमांक 26/95–96/अ–19 को तलब किया तथा वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में तहसीलदार, श्योपुर ने जानकारी चाही। तहसीलदार ने गांव के पंचान एवं सरपंच से जानकारी ली, जिसमें आवेदकगण को ग्राम बगवाज का निवासी होना प्रमाणित माना है, जिसका पंचनामा तैया किया है। पटवारी द्वारा आवेदकगण की आर्थिक स्थिति अच्छी होने सम्बन्धी गलत रिपोर्ट को आधार मानकर अनुभिागीय अधिकारी ने जांच प्रतिवेदन कलेक्टर, श्योपुर को इस आशय का प्रस्तुत किया कि, तहसील ने प्रकरण क्रमांक 26/95–96/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 02.07.96 से की गई भूमि वंटन की कार्यवाही में अनियमिततायें की गई, जिससे भूमि बंटन के उक्त आदेश को स्वयमेव निगरानी में लेकर अवैध पट्टों को निरस्त किया जाये। कलेक्टर, श्योपुर ने उक्त प्रतिवेदन के आधार पर क्रमांक 01/2000–01/स्व.निग. पर प्रकरण पंजीबद्ध किया और दिनांक 06.02.2003 को आदेश पारित कर नायब तहसीलदार के बंटन आदेश दिनांक 02.07.96 को निरस्त कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त से दुखित होकर आवेदकगण द्वारा अपील न्यायालय आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष पेश किया गया। आयुक्त न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 28/2002–03/अपील पर दर्ज किया जाकर, पारित आदेश दिनांक 25.01.2007 से निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि आयुक्त एवं कलेक्टर ने जो आदेश पारित किया है, वह विधि के विपरीत है। निगरानी न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप को सही नहीं समझा है। वर्तमान प्रकरण में राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधान लागू नहीं होते, क्योंकि आवेदकगण को विवादित भूमि का बंटन विशेष अधिनियम 84 के अधीन किया गया है। ऐसी स्थिति में संबंधित प्रावधान के आधार पर आदेश पारित करने में भूल हुई है। कलेक्टर के न्यायालय में जो उत्तर प्रस्तुत किया गया था एवं आयुक्त के न्यायालय में निगरानी मेमों में जो आपत्तियां की गई थी, उन पर विचार किये बिना ही आदेश

पारित किया गया है। प्रकरण में आवेदकगण के अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण में तर्क श्रवण नहीं किये गये तथा राजस्व अधिकारियों के लिये बनाये नियमों का पालन किये बिना आदेश पारित किया गया है। तहसील न्यायालय द्वारा पृथक–पृथक व्यक्तियों को पृथक–पृथक भूमि आवंटित की गई थी। ऐसी स्थिति में एक ही आदेश के द्वारा एक ही प्रकरण में आदेश पारित करने की भूल की गई है। ऐसा आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अंत में आवेदकगण के अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 26/95–96/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 02.07.96 के द्वारा ग्राम बगवाज में 22 भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टे दिये गये है। ज्योतिप्रसाद को ग्राम बगवाज की भूमि सर्वे क्र0 562/2 मिन रकबा 3 बहघा एवं प्रहलाद को सर्वे क्र0 625/2 रकबा 4 बीघा 1 विस्वा, 625/4 रकबा 4 बीघा भूमि के पट्टे दिये गये है। शिकायतकर्ता हसनअली द्वारा भूमि सर्वे क्र0 175 एवं 181 के सम्बध में कलेक्टर, श्योपुर को शिकायत की गई, जिसमें उल्लेख है कि उक्त भूमि पर वे पूर्वजों के समय से काबिज होकर 20 वर्षों से खेती करते आ रहे हैं, जिसकी जांच अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा की गई है, जिसके प्रतिवेदन दिनांक 30.08.2000 में विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रतिवेदन में उल्लेख है कि विचारण न्यायालय, अथवा तहसील न्यायाल के भूमि बंटन के प्रकरण में तत्कालीन पअगारी द्वारा गलत रिपोर्ट दर्ज की गई है। आवंटितियों के कथन भी गलत लिये गये है। आदेश में अनेक स्थानों पर काटपीलट एवं ओवर राइटिंग की गई है। विज्ञप्ति की विधिवत तामील नहीं हुई है। भूमि बंटन की प्रक्रिया गोपनीय रखी गई है। इस प्रकार तहसील के भूमि बंटन प्रकरण में राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। पट्टे अनेय मेत तथा अवैध प्रक्रिया अपनाते हुये किये गये है, जिन्हें निरस्त किया गया है।

6/ आवेदकगण ने यह तर्क दिया है कि प्रकरण में उसे सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा शिकायत की जांच के दौरान सभी पट्टेधारियों को व्यक्तिगत नोटिस दिया गया तथा उनके

कथन भी लिये गये है। इसी प्रकार कलेक्टर, श्योपुरकला द्वारा स्वमेव निगरानी के प्रकरण में सम्बन्धितों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उनके जवाब लिये गये है। शिकायतकर्ता हसनअली ने भूमि सर्वे क्र0 175 एवं 181 पर अपने पूर्वजों के समय से खेती करने का उल्लेख किया है, जिसका बंअन आवेदकगण को नहीं हुआ है। तहसीलदार ने दिनांक 03.08.2000 को बनाये गये पंचनामा में आवेदकगण को नहीं हुआ है। तहसीलदार ने दिनांक 03.08.2000 को बनाये गये पंचनामा में आवेदकगण को ग्राम बगवाज के निवासी न होकर श्योपुर में सर्राफे की दुकाने होना बताया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने का उल्लेख किया है, जिससे आवेदकगण कृषि श्रमिक की परिभाषा में नहीं आते है। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट कया है कि आवेदकगण ग्राम बगवाज में निवास नहीं करते, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है, जिसकी बंटन अधिकारी द्वारा जांच नहीं की गई है। तत्कालीन पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर नियम विरूद्ध पट्टा दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन पर से अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में विधिवत कार्यवाही कर आवेदकगण को कारण बताओ नोटिस देकर सुनवाई का अवसर देते हुये दिनांक 06.02.2003 को आदेश पारित किया है, जो विधिनुकूल एवं नियमानुसार और इस आदेश को आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2007 विधिसंगत है, उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अतः आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना का आदेश स्थिर रखते हुये, आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर